गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक 629/जोन–1/प्रवर्तन खण्ड/2016 दिनांक 21.01.2016

सेवा में,

मै0 वासु इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री राकेश अग्रवाल
45ए, गुप्ता कालोनी, मेरठ।

विषयः–खसरा संख्या–1116 व 1123, ग्राम नूर नगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग का शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शमन आवेदन दिनांक 25.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, खसरा संख्या–1116 व 1123, ग्राम नूर नगर, गाजियाबाद पर स्वीकृत मानचित्र संख्या–261/जी0एम0पी0/जी0एच0/12–13 दिनांक 05.09.2012 से अतिरिक्त किये गये निर्माण को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12.01.2016 को प्रदत्त स्वीकृति के कम में आपके द्वारा दिनांक 19.01.2016 को शमन शुल्क रू0 4,87,380.00 (रूपये चार लाख सत्तासी हजार तीन सौ अस्सी मात्र) प्राधिकरण कोष (विजया बैंक, शाखा नवयुग मार्केट, गाजियाबाद) में जमा करा दिया गया है एवं लेबर सैस के मद में इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक कुल धनराशि रू0 47,11,600.00 (रूपये सेतालीस लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र) अपर श्रमायुक्त कार्यालय, लोहियानगर, गाजियाबाद में जमा कराने एवं श्रमायुक्त कार्यालय से अन्तिम गणना के प्राप्त होने के तुरन्त बाद अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) को तुरन्त जमा कराकर रसीदों के साथ सूचित करने सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जा रहा है:–

1. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को कियाशील करना होगा।
2. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
3. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र संख्या–261/जोन–1/जी0ए0/12–13 दिनांक 05.09.2012 के अनुसार भूखण्ड के सड़क विस्तार हेतु आरक्षित क्षेत्रफल को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा।
5. भूस्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद–विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6. स्वीकृत मानचित्र संख्या–261/जोन–1/जी0ए0/12–13 दिनांक 05.09.2012 तथा पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–1158/जी0एम0पी0/जी0एच0/10–11 दिनांक 14.02.2011 के प्राविधानों एवं शर्तो का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना होगा।
7. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
8. शमन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 25.11.2015 एवं दिनांक 20.01.2016 की समस्त शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा शपथ पत्र दिनांक 21.01.2016 की शर्तो के अनुसार श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद से लेवर सैस को अपटूडेडट गणना कराने के उपरान्त यदि कोई लेवर सैस के मद में देयता बनती है तो तुरन्त जमा कराकर रसीदों के साथ प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
9. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा किसी अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी/निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. स्थल पर मैकेनिकल पार्किंग की व्यवस्था की गयी है जिस हेतु 24 घंटे पावर बैक अप/जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
11. स्थल पर टावरों में टायलेट के लिए मैकेनिकल संवातन का प्राविधान किया गया है जिसके लिए 24 घंटे पावर बैक–अप की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

21/01/16

(पी0के0 शर्मा)
सहायक अभियन्ता